ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

मि0 सं0 2–19/2007 (एम0 पी0 सी0) पी0 टी0 III

जनवरी, 2016

सार्वजनिक सूचना

विषयः– आई0 आई0 पी0 एम0, नई दिल्ली के अमान्य दर्जे के बारे में।

सर्वसाधारण एवं छात्र, छात्राओं को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मेनेजमेन्ट (आई0 आई0 पी0 एम0), 133/4, कुतुब इंक्लेव, फेज II, नई दिल्ली– 16, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के अनुसार विश्वविद्यालय नहीं हैं अतः आई0 आई0 पी0 एम0 को आयोग के अधिनियम की धारा 22(3) में उल्लेखित विर्निदिष्ट डिग्री प्रदान करने का कोई भी अधिकार नहीं हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि आई0 आई0 पी0 एम0 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न ही स्नातक एवं स्नातकोत्तर (बी0 बी0 ए0/बी0 सी0 ए0/एम0 बी0 ए0) डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है और न ही यह ''आयोग'' द्वारा मान्यता प्राप्त है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.09.2014 में मुकदमा शीर्षक बी0 महेश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य के अन्तर्गत आई0 आई0 पी0 एम0 को किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अन्तर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए रोक लगाई है।

सचिव